कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस नोट
(दिनांक 02.01.2025)
आयुक्तालय जोधपुर

श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं आदतन अपराधियों (हिस्ट्रीशीटर) /हार्डकोर अपराधियों के चाल- चलन एवं वस्तु स्थिति की जानकारी हेतु दिनांक 01.01.2025 को पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में वक्त 7.00 पीएम से 11.00 पीएम तक आदतन अपराधियों (हिस्ट्रीशीटर) / हार्डकोर अपराधियों /आर.पी.एम.4 से पूछताछ का अभियान चलाया गया।

सायंकालीन एवं रात्रि कालीन गश्त के दौरान सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध एवं राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त थानाधिकारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में अपराधियों (हिस्ट्रीशीटर) / हार्डकोर अपराधियों /आर.पी.एम.4 से पूछताछ का अभियान तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के विरुद्ध 60 पुलिस एक्ट में चालान कार्यवाही तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध धारा 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही अत्यधिक करने तथा राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान करना, संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा पूछताछ व कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में थानाधिकारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में कुल 95 आदतन अपराधियों (हिस्ट्रीशीटर) /हार्डकोर अपराधियों /आर.पी.एम.4 को चैक किया गया तथा उनकी वस्तु स्थिति एवं चाल चलन व दैनिक वर्तमान गतिविधियों / दिनचर्या रोजगार आदि के बारे में जानकारी लेकर पूछताछ नोट मूर्तिब किया गया । इनमें से कुछ को पूर्व में ही पाबंद किया चुका है तथा जो पाबंद नहीं है उनको पाबंद किया गया। जो घर पर नहीं मिले उनके बारे में उनके परिजनों एवं पड़ोसियों से वास्तविक स्थिति की जानकारी के साथ उनके संपर्क नंबर भी लिए गए एवं परिजनों को अवगत कराया गया कि संबंधित बीट कांस्टेबल को अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करावे।

सायंकालीन एवं रात्रि कालीन गश्त के दौरान सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के विरुद्ध धारा 60 पुलिस एक्ट में **29** चालान कार्यवाही ,शराब पीकर वाहन चलाने वाले **26** वाहन चालकों का धारा 185 एम.वी.एक्ट के तहत् चालान कार्यवाही की गई। तथा कुल **233** संदिग्ध वाहन चेक किए गए तथा राजकोप ऐप पर कुल **124** संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ **44** संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी ' भरा गया, **17** बंपर लगे वाहन, **01** बिना नंबरी वाहन व **17** काला शीशा लगे वाहनों का एम.वी.एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी

पुलिस नियन्त्रण कक्ष
आयुक्तालय जोधपुर

Shot on OnePlus